संख्या-65/2024/।।/508943/2024/23-11099/2852/2020

प्रेषक,

राज कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक: 29/02/2024**

विषय:- जनपद मथुरा में कोसी-नन्दगांव-बरसाना-गोवर्धन-सौंख-मथुरा एवं मथुरा राया (यमुना एक्सप्रेस वे मार्ग तक) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 86.913 कि0मी0) की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-351/पी0जे011/15पी0जे0/23, दिनांक 01-12-2023, पत्र संख्या-382/पी0जे011/15पी0जे0(1)/2024, दिनांक 02-01-2024 एवं पत्र संख्या-451/पी0जे0-11/15पी0जे0/2024, दिनांक 19-02-2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा में कोसी-नन्दगांव-बरसाना-गोवर्धन-सौंख-मथुरा एवं मथुरा राया (यमुना एक्सप्रेस वे मार्ग तक) मार्ग का 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 86.913 कि0मी0) की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-360/2016/105(1)/23-11-2016-1/2(112)/2016, दिनांक 19-12-2016 द्वारा लागत रू0 50571.77 लाख एवं प्रश्नगत मार्ग को 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के लिए जात ट्रेपोजियम क्षेत्र के प्राविधानों के दृष्टिगत वन विभाग से 12982 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं राजस्व विभाग से वन विभाग को क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु 125 हे0 भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण मार्ग का 04 लेन के स्थान पर 02 लेन विद पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश संख्या-436/2021/।/96730/2021/23-11099/2852/2020, दिनांक 10-09-2021 द्वारा लागत रू0 29488.89 लाख की प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के उच्चीकरण की योजनान्तर्गत प्रदान की गयी थी।

प्रश्नगत मार्ग को 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने हेतु परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुन: पुनरीक्षित लागत रू0 78674.95 लाख (रूपये सात अरब छियासी करोड़ चौहत्तर लाख पन्चानबे हजार मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	पुन: पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	मथुरा	जनपद मथुरा में कोसी-नन्दगांव-बरसाना-गोवर्धन-सौंख-मथुरा एवं मथुरा राया (यमुना एक्सप्रेस वे मार्ग तक) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 86.913 कि0मी0)।	50571.77	29488.89	78674.95

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाय।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु0-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) जनपद मथुरा ताज ट्रेपेजियम जोन में होने के कारण मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों के पातन पर वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने के साथ-साथ ही मा0 उच्च/मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(10) प्रायोजनान्तर्गत दिनांक 1 जुलाई, 2017 में हुए निर्माण कार्य पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा दिनांक 18 जुलाई, 2022 से हुए निर्माण कार्यो पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(11) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

(12) प्रायोजनानतर्गत विद्युत विभाग की यूटिलिटी शिफ्टिंग मद में रू0 4411.25 लाख आंकलित की गयी है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व यूटिलिटी शिफ्टिंग का विद्युत विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय। विद्युत विभाग की यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु एन0एच0ए0आई0 के मानकों का अनुपानल सुनिश्चित किया जाय।

(13) यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुन: अवश्यकता न हो।

(14) प्रायोजनानतर्गत पेड़ों की कटाई एवं रोपाई हेतु वन विभाग को रू0 2736.35, जल निगम रू0 126.87 लाख एवं चैनलिंक्ड फैन्सिग वन विभाग की भूमि हेतु रू0 750.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा उक्त कार्यमदों का विस्तृत आगणन गठित कराकर तथा सम्बन्धित विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं इन कार्यो के क्रियान्वयन से पूर्व विभाग अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यो का Verification & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

(15) प्रायोजनाके निर्माण हेतु 31.99 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु रू0 18843.81 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। भूमि अर्जन की कार्यवाही CALA (कम्पीटेन्ट अथारिटी फार लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(16) प्रायोजनानतर्गत प्रस्तावित मिट्टी की मात्रा के दृष्टिगत विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना हेतु मिट्टी जिन किसानों के खेतों से प्राप्त की जानी है, उन किसानों के नाम, ग्राम व उनके खेतों के खसरे का नम्बर, किस किसान के खेत के किस खसरा नम्बर से कितनी मिट्टी प्राप्त की जानी है,

http://shasanadesh.up.nic.in

उसका किसानवार, खसरावार मिट्टी की मात्रा, Borrow AREA (बरो एरिया) के चार्ट का विवरण तथा किसानवार भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धी सूचनाओं का विवरण पारदर्शी तरीके से मेन्टेन किया जाय तथा इसकी किसी सक्षम स्तर के अधिकारी से समय-समय पर रेन्डम चेकिंग करायी जाय ताकि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता और द्विरावृत्ति न हो।

(17) पुन: पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में कराये गये कार्यो की लागत को यथावत् सम्मिलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(18) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च् विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना क्रियान्वयन से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(21) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं संशोधन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(25) उक्त परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-360/2016/105(1)/23-11-2016-1/2(112)/2016, दिनांक 19-12-2016 तथा पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश संख्या-436/2021/।/96730/2021/23-11099/2852/ 2020, दिनांक 10-09-2021 की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(26) परियोजना का भविष्य में पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा। परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(27) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक-5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-337-सडक निर्माण कार्य-13-एमुश्त व्यवस्था-1323-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था(राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-13-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-1340-X-2023-24, दिनांक 29-02-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.upnic.in